भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2634

दिनांक 07.08.2024 को उत्तर देने के लिए

महत्वपूर्ण खनिजों का अन्वेषण और प्रसंस्करण

†2634. डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश महत्वपूर्ण खनिजों की अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए इनके आयात पर अत्यधिक निर्भर है;

(ख) क्या सरकार ने देश में महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण और प्रसंस्करण को प्रोत्साहन देने के लिए नई नीति पर काम शुरू कर दिया है;

(ग) क्या प्रस्तावित नई नीति में उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर प्रोत्साहन शामिल है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य उपाय शुरू किए गए हैं?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) जी हां, भारत अपनी महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता की आपूर्ति के लिए आयात पर निर्भर है और लिथियम, कोबाल्ट, निकल, फास्फोरस, पोटाश आदि जैसे खनिजों का आयात करता है।

(ख) से (घ) केंद्र सरकार ने दिनांक 17.08.2023 से प्रभावी एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2023 के माध्यम से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन किया है। उक्त संशोधन के माध्यम से, केंद्र सरकार को उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग-घ में सूचीबद्ध 24 महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिजों के लिए विशेष रूप से खनन पट्टे एवं संयुक्त अनुज्ञप्ति की नीलामी करने का अधिकार दिया गया है। खान मंत्रालय, भारत सरकार ने महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिजों के 14 ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की है।

केंद्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी के अलावा, महत्वपूर्ण और गहरे-स्थित खनिजों की खोज को और बढ़ावा देने के लिए, एमएमडीआर अधिनियम की नई सम्मिलित सातवीं अनुसूची में उल्लिखित 29 गहरे-स्थित खनिजों के लिए एक नई खनिज रियायत, अर्थात् गवेषण अनुज्ञप्ति शुरू की गई है। नीलामी के माध्यम से प्रदान की गई गवेषण अनुज्ञप्ति, लाइसेंसधारक को, खोजे गए ब्लॉकों में एकबार खनन शुरू होने के पश्चात् राजस्व हिस्सेदारी प्राप्त होने पर इन खनिजों के लिए टोही और पूर्वेक्षण कार्य करने की अनुमति देगा।

मंत्रालय द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों के लिए गवेषण कार्यक्रम में वृद्धि करने पर बल दिया गया है। तदनुसार, पिछले तीन वर्षों (2021-22 से 2023-24) के दौरान, जीएसआई ने विभिन्न महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों पर 368 खनिज गवेषण परियोजनाएं शुरू की हैं। वर्तमान कार्य सत्र 2024-25 के दौरान, जीएसआई ने देश भर में विभिन्न महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की खनिज क्षमता का आकलन करने के लिए 196 खनिज गवेषण परियोजनाएं शुरू की हैं।

राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी) की स्थापना के बाद से, कुल 393 परियोजनाओं को एनएमईटी द्वारा वित्त पोषित किया गया है। 393 परियोजनाओं में से विभिन्न गवेषण एजेंसियों के माध्यम से महत्वपूर्ण खनिजों की 122 परियोजनाएं हैं।

गवेषण में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए खान मंत्रालय ने 23 निजी गवेषण एजेंसियों (एनपीईए) को अधिसूचित किया है। ये एजेंसियां एनएमईटी के माध्यम से गवेषण परियोजनाएं शुरू कर रही हैं। राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी) ने संयुक्त अनुज्ञप्ति और गवेषण अनुज्ञप्ति धारकों के लिए गवेषण व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति के लिए दो योजनाएं आरंभ की हैं। इन योजनाओं के तहत अनुज्ञप्ति धारकों द्वारा किए गए गवेषण व्यय का 50% तक प्रतिपूर्ति की जाती है।

वर्ष 2023 में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के दायरे को बढ़ाते हुए "खनन, खनिज प्रसंस्करण, धातुकर्म और पुनर्चक्रण क्षेत्र में स्टार्ट-अप और एमएसएमई में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना (एस एंड टी-प्रिज्म)" शुरू किया गया था, जिससे आर एंड डी और व्यावसायीकरण के बीच की दूरी को समाप्त करने के लिए स्टार्ट-अप और एमएसएमई में अनुसंधान और नवाचार को वित्तपोषित किया जा सके। वर्ष 2024 के दौरान, खान मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के आर एंड डी घटक के तहत, महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण, पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण से संबंधित 10 आर एंड डी परियोजनाओं को विभिन्न भारतीय संस्थानों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं के माध्यम से शुरू करने की मंजूरी दी गई है।

*****